

# मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अन्तर्गत गव्य विकास कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,

पासपोर्ट साइज का  
फोटो चिपकाएँ

महाराष्ट्र

मैं एक पशुपालक/दुग्ध उत्पादक हूँ। मेरा पूर्ण विवरण निम्नवत हैं -

1. आवेदक का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. उम्र :-..... जाति :- (SC/ST/Others).....
4. 90% अनुदान प्राप्त करने हेतु महिला लाभुक नीचे के उपयुक्त बॉक्स में  टीक करें  
परित्यक्ता  आपदा प्रभावित  सङ्कट दुर्घटना से प्रभावित   
दिव्यांग  आगजनी से प्रभावित

नोट:- उपयुक्त से संबंधित महिला लाभुक संबंधित मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् का सदस्य से सत्यापन के साथ घोषणा पत्र संलग्न करें।

5. स्थाई पता ग्राम -..... पंचायत -..... पोस्ट.....  
प्रखण्ड -..... जिला -.....
6. बैंक खाता विवरणी :-
  - (i) बैंक का नाम :-
  - (ii) चालू खाता संख्या :-
  - (iii) आइ. एफ. एस. सी. कोड :-
  - (iv) आधार संख्या :-  
(बैंक पासबुक एवं आधार की स्पष्ट छाया प्रति संलग्न करें)
7. मोबाइल नम्बर -
8. वर्तमान में दुधारू पशुओं की संख्या - गाय - भैंस -
9. कुल दूध उत्पादन -
10. हरा चारा उत्पादन करने हेतु सहमति :- हाँ  नहीं

मैं निम्नलिखित योजना में शामिल होकर लाभान्वित होना चाहता / चाहती हूँ -

जिस योजना का लाभ लेना है उसके सामने अंकित बॉक्स में सही  का निशान लगाएँ।

- (i) (क) दो दुधारू गाय / भैंस वितरण की योजना सभी महिला लाभुकों के लिए 75% अनुदान पर |   
(ख) दो दुधारू गाय / भैंस वितरण की योजना महिला लाभुकों 90% अनुदान पर आपदा / आगलगी / सड़क दुर्घटना / परित्यक्त / दिव्यांग महिलाओं के लिए।

(ii) कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना अन्तर्गत

- (क) मिनी डेयरी (05) गाय / भैंस की वितरण योजना 50% अनुदान पर सभी जातियों के लिए।  
(ख) मिनी डेयरी (05) गाय / भैंस की वितरण योजना 75% अनुदान पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / दुग्ध सहकारी समीति के लिए।   
(ग) मिडी डेयरी (10) गाय / भैंस की वितरण योजना 50% अनुदान पर सभी जातियों के लिए।   
(घ) मिडी डेयरी (10) गाय / भैंस की वितरण योजना 75% अनुदान पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / दुग्ध सहकारी समीति के लिए।

(iii) हस्त चालित एवं विद्युत चालित चैफ कटर का वितरण की योजना

- (क) हस्त चालित चैफ कटर 75% अनुदान पर सभी जातियों के लिए।   
(ख) हस्त चालित चैफ कटर 90% अनुदान पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / दुग्ध सहकारी समीति के लिए।   
(ग) विद्युत चालित चैफ कटर 75% अनुदान सभी जातियों के लिए।   
(घ) विद्युत चालित चैफ कटर 90% अनुदान पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / दुग्ध सहकारी समीति के लिए।

(iv) प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता की योजना

	75% अनुदान	90% अनुदान
एमिल्कींग मशीन	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
वर्मी कम्पोस्ट यूनिट	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
डीप बोरिंग	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
काउ मैट	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त आवेदित योजना (केन्द्र प्रायोजित / राज्य प्रायोजित) का लाभ पूर्व में मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।

पशुपालक का हस्ताक्षर

ग्राम सभा की अनुशंसा :-

ग्राम प्रधान / मुखिया

JMF का प्रतिनिधि

दुग्ध मित्र